संख्या:-11/2024/आई487657/001-64आ0-23-5002-002-03-2022
(कम्प्यूटर संख्या-1634261)

प्रेषक,

नीरजा सक्सेना,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 06 फरवरी, 2024**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा में **लेखाशीर्षक 2059-01-053-0302-00-29 "महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नवीन भवन का अनुरक्षण"** के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज में महाधिवक्ता कार्यालय के जीर्णोद्धार(सिविल/विद्युत) कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7576/सीई-बीएलडी/बीयूआईएल(एसपीएआर)/पीआरजे/2023-24, दिनांक 02.02.2024 एवं सं0-7579/सीई-बीएलडी/बीयूआईएल(एस आर)/पीआरजे/2023-24, दिनांक 02.02.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज में महाधिवक्ता कार्यालय के जीर्णोद्धार(सिविल/विद्युत) कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता में से **रू0 178.00 लाख(रू0 एक करोड़ अठहत्तर लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नवत तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजना वार स्वीकृत धनराशि	पुनरीक्षित धनराशि	बचत की धनराशि	आवंटन हेतु कुल धनराशि	गत वर्षों में आवंटित धनराशि	अवशेष देय धनराशि	निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(धनराशि रू0 लाख में)		
1	22/2022/64आ0/001-23-5-22-01 (भवन)/2022, दि0 30.06.2022 एवं 112/2023/001-228आ0/23-5-23-01(भवन)/2022, दि0 22.06.2023 तथा 198/2023/आई-449617/295आ0/23-5-23-01(भवन)/2022, दिनांक-15.12.2023 **(पुनरीक्षण)**	महाधिवक्ता कार्यालय, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के भवन का जीर्णोद्धार कार्य।(सिविल)	219.52	806.26	11.76	794.50	137.00	657.50	100.00
	तदैव	Repair and Maintenance of Various item installed at Maha Adhivakta Building Prayagraj. (विद्युत)	240.65	615.75	0.00	615.75	150.00	465.75	78.00
योग :-			**460.17**	**1422.01**	**11.76**	**1410.25**	**287.00**	**1123.25**	**178.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 30.06.2022 व 22.06.2023 एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेश 198/2023/आई-449617/295आ0/23-5-23-01(भवन)/2022, दि0 15.12.2023 में उल्लिखित शर्तों तथा वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 1,78,00,000(रूपये एक करोड़ अठहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 2059010530302 महाधिवक्ता कार्यालय माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के नवीन भवन का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या:-11/2024/आई487657/001-64आ0(1)-23-5-2023, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- निजी सचिव, महाधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- विशेष सचिव, न्याय अनुभाग-1(उच्च न्यायालय), उ0प्र0 शासन।
6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
7- जिलाधिकारी प्रयागराज।
8- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।
12- मुख्य अभियन्ता(भवन)/(वि0/यॉ0), लो0नि0वि0, लखनऊ।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13- मुख्य अभियन्ता, प्रयागराज क्षेत्र, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
14- अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
15- अधीक्षण अभियन्ता, 17वां(वि0/यॉ0) वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
16- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
17- अधिशासी अभियन्ता, वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, प्रयागराज।
18- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10
19- श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
अभय प्रताप श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।